

राजस्थान सरकार  
कृषि आयुक्तालय, राज0 जयपुर

क्रमांक: प.1(1)(जी-18II)आ.कृ./युप-8/3156-3250

दिनांक: 20/9/17

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के पत्र क्रमांक पं.7(9)मर्ती/गोपनीय/2013-14/256 दिनांक 31.07.2017 के द्वारा सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (कीट) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को राजस्थान कृषि सेवा नियम 1960 के प्रावधानानुसार राज्यपाल महोदय, सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (कीट) के पद पर वित्त विभाग की अधिसूचना एफ.12(6)एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006 एवं राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2008 के अन्तर्गत रनिंग पे-बैंड 9300-34800 (पी.बी.-2) ग्रेड पे रू 4800/- में कार्यग्रहण तिथि से अस्थाई रूप से 2 वर्ष के लिये नियत वेतन रूपये 17230/- प्रतिमाह पर परिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्ति प्रदान करते हैं। उनकी नियुक्ति पुलिस विभाग से प्राप्त पूर्वाचरण रिपोर्ट एवं राजस्थान सेवा नियमों के नियम 11 के अन्तर्गत प्राप्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्रों के आधार पर की जा रही है।

क्र0सं0	नाम	पिता का नाम	स्थाई पता	मेरिट क्रमांक	वर्ग	वर्ग जिसके विरुद्ध चयन हुआ	जन्म दिनांक	पदस्थापन स्थान
1	मुकेश कुमार जाट	श्री रामप्रसाद जाट	वीपीओ- बथली, तह. - दूनी, टोक	1	BC	GE	29-01-1990	कार्या. उप निदेशक कृषि (शष्प), एटीसी, छत्तरपुरा (बूंदी)
2	अभिमन्यु सिंह	श्री अभिमन्यु सिंह	गांव - कानपुरा, पोस्ट - मुण्डावरा, तह- थानागाजी, जिला अलवर	2	GE	GE	06-04-1990	कार्या. उप निदेशक कृषि (शष्प), एटीसी, आबूसर, झुंझुनू
3	अभिषेक पारीक	श्री भगवान सहाय पारीक	677, शान्तनु पथ, विद्युत नगर- ए. प्रिस रोड जयपुर	3	GE	GE	07-02-1983	कार्या. परियोजना निदेशक कृषि (शष्प), सीएडी फार्म, नान्ता, कोटा
4	नरेन्द्र सिंह	भगवान स्वरूप	निहाल कौर, महाविद्यालय के पास, हलना रोड, नदबई, भरतपुर	5	GE	GE	11-03-1987	कार्या. उप निदेशक कृषि (शष्प), एटीसी, चित्तौडगढ़
5	देवेन्द्र धाकड	परमानन्द धाकड	ग्राम- होंपाखेडी, पोस्ट जयनगर, तह- अन्ता, बारां	6	BC	GE	25-10-1988	कार्या. उप निदेशक (उद्यान), एटीसी, नान्ता फार्म, कोटा
6	सुरेश कुमार यादव	बोदुशम यादव	ग्राम- खेजरोली, पोस्ट- खेजरोली, तह- चौमु, जिला जयपुर	7	BC	GE	01-07-1991	कार्या. उप निदेशक कृषि (शष्प), एटीसी, हनुमानगढ़
7	सुरेश कुमार डोटसरा	सुल्तान सिंह	गांव - डोटसरा, पोस्ट-पाटोदा, तह- लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर	8	BC	OBC	16-04-1994	कार्या. उप निदेशक कृषि एवं मू-सर्वेक्षण, सीएडी, आईजीएनपी, बीकानेर
8	नरेन्द्र कुमार	श्री ओम प्रकाश	वीपीओ- बरवाली, तह- नोहर, हनुमानगढ़	10	BC	OBC	20-02-1990	कार्या. उप निदेशक कृषि (शष्प), एटीसी, तवीजी, अजमेर
9	आरती सैनी	शीशराम सैनी	गांव- गादूवास, तह-मुण्डावर, जिला अलवर	11	BC	GE	04-11-1992	निदेशालय उद्यान, जयपुर
10	बृज मोहन मीणा	गोकुल चन्द मीणा	दाणी- मीणा की महरोस, गांव- खेडली, पोस्ट- बजरंगपुरा, तह- विराटनगर, जयपुर	12	ST	ST	04-06-1986	कार्या. उप निदेशक कृषि (शष्प), एटीसी, मलिकपुर (भरतपुर)
11	सुमन चौधरी	श्री राम सहाय	गांव / पोस्ट- मुण्डाला वाया कालवाड, जयपुर	13	BC	GE	15-12-1987	कार्या. संयुक्त निदेशक कृषि (मौध व्याधि), राज्य जैविक उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, दुर्गापुरा, जयपुर



12	झुमर लाल	श्री चेतनराम	वीपीओ- रामसर, कलाऊक तह- शरगढ जिला जोधपुर	14	SC	SC	27-02-1991	कार्या. उप निदेशक कृषि (शष्प), एटीसी, रामपुरा (जोधपुर)
13	रोबिन असेरी	र०. केदार रूप आसेरी	मकान नं० 150-द्वितीय बी रोड, सरदारपुरा जोधपुर	15	SC	SC	22-08-1986	कार्या. उप निदेशक कृषि (शष्प), एटीसी, सुमेरपुर (पाली)

### उक्त नियुक्तियों निम्नांकित शर्तों के अध्यक्षीन होगी:-

- उक्त चयनित अम्पथियों की चयन प्रक्रिया/चयन एवं नियुक्ति कृषि अनुसंधान अधिकारी (कीट) के संबंध में माननीय विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन विभिन्न रिट याचिकाओं के अध्यक्षीन रहेगी।
- नवनियुक्ति अधिकारियों के लिये अशदायी पेंशन योजना वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 29.01.2004 एवं 13.03.2006 के अनुसार लागू होगी।
- पूर्व में राज्य सरकार के विभागों में नियोजित कार्मिक राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2008 की अनुसूची IV के अनुसरण में फिक्स वेतन एवं वर्तमान वेतन श्रृंखला अपने लाभ के आधार पर प्राप्त करने के लिये विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं।
- चिकित्सा परिचर्या व्यय भुगतान राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों/नियमों / अधिसूचनाओं के अन्तर्गत देय होंगे।
- कार्यग्रहण करने से पूर्व कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति दिनांक 20.06.2001 के अनुसार संतान संबंधी प्रमाण पत्र/ घोषणा प्रस्तुत करने होंगे।
- परिविक्षा अवधि में वित्त विभाग की अधिसूचना/ आदेश दिनांक 13.06.2006 में अंकित शर्तों/ नियमों के अनुसार राज्य सेवा करनी होगी।
- नियुक्त अम्पथियों को नवनियुक्त स्थान पर उपस्थिति देने के लिये कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- उक्त कार्मिकों की परिविक्षा अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर नियमित नियुक्ति प्रदान की जावेगी।
- वे चयनित अम्पथी जो वर्तमान में राज्य सेवा में कार्यरत हैं, वे विधिवत रूप से अपने विभागाध्यक्ष से कार्यमुक्त होकर अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करेंगे।
- नवपदस्थापित अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से अपनी उपस्थिति 30 दिवस के अन्दर अपने पदस्थापन कार्यालय पर प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि में उपस्थिति नहीं देने पर उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(विकास सीतारामजी भाले)  
आयुक्त कृषि

दिनांक : 20/09/17

क्रमांक: प.1(1)(जी-1811)आ.कृ./गुप-8/3126-320  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- विशिष्ट सहायक, माननीय कृषि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर
- विशिष्ट सहायक, माननीय कृषि राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि शासन सचिवालय, जयपुर
- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्र क्रमांक पं.7(5)भर्ती/गोपनीय/2013-14/170 दिनांक 16.06.2017 के संदर्भ में।
- शासन उपसचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर
- आयुक्त, कृषि, कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर
- संबंधित श्री .....
- निजी/ आरक्षी पत्रावली ।

(सोमेन्द्र शर्मा)  
संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)